# fgekpy insk fo/kku I Hkk I fpoky;

### अधिसूचना

## दिनांक, 01 दिसम्बर, 2025

। २(; k fo0l 0&fo/kk; u&fo/k\$; d@1&136@2025-&&हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम−140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) जो आज दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / – (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

\_\_\_\_\_

2025 का विधेयक संख्यांक 20.

fgekpy inskljdkjh delpkfj; kadh Hkrhlvk§ Isok dh 'kræ¼l akks/ku½ fo/ks, d] 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम।
- 2. धारा 10 का संशोधन।

2025 का विधेयक संख्यांक 20.

fgekpy i ns k I j dkjh delpkfj; ka dh Hkrhl  $\vee$ kj I sok dh 'kr $\pm$ 1/4 å kkg/ku½ fo/ks, d] 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए foèks, dA

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1- **l f**{klr uke-&&इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2- /kkjk 10 dk l l kk/ku-&&हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 की धारा 10 की उप—धारा (1) में ''; पूर्व प्रकाशन के पश्चात्'' चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा।

\_\_\_\_\_

# mìs; vky dkj.kka dk dFku

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 राज्य के मामलों से संबंधित लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों, साथ ही उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित है कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को केवल पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही अधिसूचित किया जाएगा। इस आवश्यकता के कारण सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को बनाने या संशोधन करने में अपरिहार्य विलंब होने की संभावना है।

विभिन्न विभागों द्वारा नियमों को समय पर बनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि धारा 10 में संशोधन करके पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए। इससे नियम बनाने में तेजी आएगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

¼**। ([**kfo**nj** f**l tg l <b>()**[k**1**k] मुख्य मन्त्री।

धर्मशालाः		
तारीख,	2025	

foÙkh; Kki u

–शून्य–

iR; k; kftr fo/kku l Eca/kh Kkiu

–शून्य–

fgekpy inskljdkjh delpkfj; kadh Hkrhl vkg lok dh 'kræll åkkskull fo/ks, d] 2025

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए fo/ks, dA

(lo[kfoanj flag lop[ki)

सचिव (विधि)।	
धर्मशालाः तारीख, 2025	

#### **AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

Bill No. 20 of 2025.

# THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES (AMENDMENT) BILL, 2025

#### ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 10.

Bill No. 20 of 2025.

# THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

**BILL** 

to amend the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024(Act No.23 of 2025).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

- 1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees (Amendment) Act, 2025.
- **2. Amendment of section 10.**—In section 10 of the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024, in sub-section (1), the sign and words "; and after previous publication" shall be omitted.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024 was enacted to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services in connection with the affairs of the State and for matters connected therewith or incidental thereto. Section 10 of the Act stipulates that rules made under the Act shall be notified only after previous publication. This requirement is likely to cause unavoidable delays in framing or amendment of rules relating to the Recruitment and Conditions of Service of Government employees.

To ensure timely formulation of rules by various departments, it is proposed that section 10 be amended to dispense with the requirement of previous publication. This will facilitate expeditious rule making and also enhance the administrative efficiency.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

DHARAMSHALA:	
THE,	2025
ĺ	

### FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

\_\_\_\_

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES (AMENDMENT) BILL, 2025

Α

BILL

to amend the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024(Act No.23 of 2025).

# (SUKHVINDER SINGH SUKHU) Chief Minister.

Secretary (Law).	
DHARAMSHALA: THE2025.	